



संस्कृत राजमार्ग संख्या 148
(जिला कलेक्टर) टोक
- 1024 -
अध्यापक

अभिभाषक अध्यापक संख्या 2 ने जगद प्रथमा पत्र में अंकित किया कि
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण हेतु मैंने ख0न0 104 कि०मी० में
स्थित मकान/भूखण्ड वाके ग्राम नजीरपुरा में अग्रज की गई है। अग्रज मैंने पर

प्रकरण एवं रजिस्टर कर तलब अध्यापक संख्या की गई एवं अग्रज पत्रावली
तलब की गई। अग्रज पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त। प्रकरण में उभयपक्ष की सहस
सूची गई।

प्रथमा पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के
निर्माण में ग्राम नजीरपुरा तहसील उन्नाव की मैंने ख0न0 104 कि०मी० में
स्थित मकान/भूखण्ड का मुआवजा विधायक द्वारा तलब किया गया है। प्रथमा पत्र पर स्थित
मकान/भूखण्ड का बाजार मूल्य की दर से 17,00,000 रूपये का मुआवजा राशि प्राप्त
करने का अधिकारी है। अतः सरकारी मैंने पर स्थित परिसरों का अग्रज दिनांक
27.09.2021 को निरस्त कर मकान/भूखण्ड का बाजार मूल्य की दर से 17,00,000
रुपये का मुआवजा तलब किया जावे।

दिनांक 06.05.2026

निर्णय

- (1) श्री दीनदरम चौधरी, अभिभाषक प्रथमा पत्र
- (2) श्री खमवन्द शर्मा, अभिभाषक अध्यापक संख्या-2

प्रथमा पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

- 1-सक्षम प्राधिकारी मैंने अर्थात्, राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 148 एन (उपखण्ड अधिकारी)
- उन्नाव जिला टोक राज0
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना डेकडे,
- उन्नाव डेकडे न0 148 एन सवाडे माहापुर।

बनाम

- 1 डेकडे लाल पुत्र शर्मा जालि बूयवा निवासी नजीरपुरा तहसील उन्नाव
- जिला टोक राज0
- 2 डेकडे लाल पुत्र शर्मा जालि बूयवा निवासी नजीरपुरा तहसील उन्नाव
- जिला टोक राज0

प्रकृत संख्या
प्रति दिनांक
11/2022
07.02.2022

न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीटोर) टोक
(टीना डाबी, आड0ए0ए0ए0 द्वारा अध्यापित)



- 1025 -
आर्वाइटर
राजधानी संख्या 148
(जिला कलेक्टर) टांक

1 ग्राम नजीरपुर में खसरा संख्या 104 पर सरकारी भूमि पर स्थित Single Story परिसम्पत्ति का Valuation Report of Immovable Property By HORIZON INFRADESINGS PVT. LTD. द्वारा 20,476/- निर्धारण करने के उपरान्त एन.एच.ए. आई. द्वारा अर्वाइ 20,476/- पारित किया गया है। उक्त Valuation Report पर सहस्यक अभियन्ता सांख्यिक निर्माण विभाग उपखण्ड अतिगढ जिला टांक व तहसीलदार (मं.अ.) रजियारा में अतीगढ जिला टांक के हस्ताक्षर है।

गई है, जो निम्न प्रकार से है।
2022 से प्रार्थना के मकान/मंखण्ड की वैल्यूेशन शीट की सत्यप्रतिनिधि प्रजवाइड अधिकारी रजियारा के पत्र क्रमांक:-एसडीओ/मं.अ.वा./148 एन/330 दिनांक 05.04. से साक्ष्य-सर्वे प्रस्तुत नहीं किया गया है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्वाइ) एवं उपखण्ड बाजार मूल्य की दर से 17,00,000 रुपये बाहा गया है, परन्तु उक्त बाहा डेसकी लायड नियमानुसार किया गया है। प्रार्थना द्वारा अर्वाइ/मंखण्ड का मंखण्ड नजीरपुरा का अधिनिचम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मंखण्ड का निर्धारण मकान/मंखण्ड भूमि ख0न0 104 में स्थित है, किस्म जमीन मं.अ.बादी वाक ग्राम राजधानी संख्या 148 एन उपखण्ड अधिकारी रजियारा द्वारा प्रार्थना के पत्रवाली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्वाइ अधिकारी राज्डीय जवाइ/डेस का अर्वाइकन किया तथा पत्रवाली पर उपलब्ध दस्तावेजोंत अर्वाइ डेसने डेस अभिमाषक प्रार्थना व अभिमाषक अर्वाइ संख्या-2 मनी।

है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज मान्य है।
प्राधिकारी द्वारा समूह तयों को मध्यनजर रखते हुये अर्वाइ जारी किया है जो उचित अर्कित शी। प्रार्थना को निर्मित संरचनाओं का मंखण्डा दिया गया है। सक्षम विभाग द्वारा समुष्ट (वेट) किया गया। जमीन की किस्म मं.अ.बादी राजस्व रिकार्ड में तकनीकी मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट को सांख्यिक निर्माण से पी.डब्ल्यू.डी. की बी एस आर (बैसिक डिस्ट्रिब्यूट आक रेड) के आधार पर स्वतंत्र सर्वे एवं मूल्यांकन कार्य में सहयोग एवं निगरानी हेतु निर्देशित किया गया। डेस संबंध आदेश दिया गया साथ ही संबंधित तहसीलदार को उक्त पत्रवाली एवं निरदावरी सहित आदेश का सर्वे कर मूल्यांकन करवाकर निर्धारित शर्तों के अन्तगत कार्य करने का मंखण्डा शिष्टा के निर्धारण बाबत पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उक्त अर्वाइ भूमि एवं निर्माण से कन्स सरकार में निहित हो गई। अर्वाइ शूट भूमि में स्थित संरचनाओं/निर्माण की गया। धारा 3 की के अन्तगत नॉटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अर्वाइ रूप भूमि अर्वाइ अधिकारी द्वारा संबंधित डिवाइकाशियों के डेक से अर्वाइ पारित किया की गई उक्त विधि के प्राधान्य के अनुसार निरारण किंय जाने के उपरान्त सक्षम आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, जिस-जिस व्यक्ति द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत 3 ए के अन्तगत नॉटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थना को 3 शी के अन्तगत प्राधान्य के अनुसार अर्वाइ पारित किया गया है। अर्वाइ भूमि का अधिनिचम की धारा स्वतंत्र सर्वे एंजिनी की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार संबंधित डिवाइकाशी को विधि के निर्माण आदेश का मंखण्डा राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट एवं सरकार द्वारा अर्कित



आरबीएल/एल/एल/एल-148 एन
जिला कलेक्टर (टीना डीपी)
जिला कलेक्टर (टीना डीपी)
जिला कलेक्टर (टीना डीपी)

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खूले न्यायालय से सुनाया गया।

प्रार्थना के पास अपने मकान / संखण्ड का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दस्तावेजात (पट्टा) नहीं है। प्रार्थना का मकान / संखण्ड पक्का ना होकर कच्चा है अतः प्रार्थना पर सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबदा निकट मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भीम अर्वादि सार्वीय राजमार्ग संख्या-148 एन (उपखण्ड. आधिकारी) रजिस्ट्रार को प्रेषित किया जावे।